सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 345/16 निर्णय दिनांक 09.01.2018

1. बाबुलाल पुत्र भीखाराम जाति सोनी निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट

2. अपील संख्या 347/16

1. बाबुलाल पुत्र भीखाराम जाति सोनी निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–06–2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने दोनों अपीलें सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ बीकानेर के निर्णय दिनांक 19.02.2010 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों अपीलों में निर्णीत किये जाने योग्य वैधानिक प्रश्न समान है इसलिए इन दोनों अपीलों को इस एक ही कोमन निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है । इस निर्णय की एक एक प्रति उपरोक्त दोनों पत्रावलियों पर रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 6 बीआरएम के मुरब्बा नम्बर 108/41 व 108/49 में 25 बीघा भूमि की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19—02—2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक भूमि आती है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानेर, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन

निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरूद्व है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—02—2010 के विरूद्व अपील दिनांक 18—05—13 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 4 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 15—09—2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19—02—2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 6 बीआरएम के मुरब्बा नम्बर

108/41 व 108/49 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी के धारण में भूमि 4 बीघा कमाण्ड से अधिक (39 बीधा कमाण्ड/अनकमाण्ड) होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना के बाबत् चैक लिस्ट बनवाई गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलांट के धारण में 39 बीघा भूमि निहित है।इस प्रकार प्रार्थी के धारण में अधिक भूमि निहित है। यह तथ्य पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से भी साबित है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक निहित है व इसी आधार पर अदात मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(4) चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि होने से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 19—02—2010 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने चारों अपीलों में कॉमन बहस करते हुए बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/49 की 24.05 बीधा व मुरब्बा नम्बर 108/41 की 25 बीधा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है तथा जिस ग्राम की भूमि थी उसी ग्राम का निवासी है। मगर आवंटन अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से एकतरफा तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और अन्य व्यक्ति को आंवटन कर दिया जो कानूनी भूल है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 अन्य ग्राम का निवासी है तथा उसकी प्रथम वरियता मानी गई है जबकि उसकी प्रथम वरियता नही बनती। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि उसके धारण में 4 बीधा से अधिक भूमि है जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पास भी 4 बीधा से अधिक भूमि है। नियमों में कही भी नहीं लिखा कि 4 बीधा से अधिक भूमि वाला आवंटन का पात्र नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट का परिवार पीढ़ियों से ग्राम कबरेवाला पंचायत बरसलपुर में निवास करता आ रहा है तथा उसके द्वारा आवेदित भूमि भी उसी ग्राम में है। इसलिए प्रथम वरियता उसकी बनती है। जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 अन्य ग्राम का निवासी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 को आवंटन कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन नियम 1975 के नियम 7 की गलत व्याख्या की है। नियम 7 में वरियता निर्धारण हेतु स्पष्ट क्रम दिये हुए है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के धारण में अपीलांट से अधिक भूमि है। फिर भी उसे आवंटन किया गया है। अतः अपीलांट की अपल स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर आवंटन के आदेश पारित किये जावे। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 108/41 व मुरब्बा नम्बर 108/48 ग्राम कब्रेवाला के आवंटन से पूर्व विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये। अदालत मातहत द्वारा प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवंटन प्रार्थना पत्रों की वरियता कायम की गई। वरियता क्रम में सभी आवेदकों के प्रार्थना पत्रों की जॉच किये

जाने के उपरान्त सबूत पूर्ण होने पर रेस्पोडेन्ट् इमीलाल व राजाराम की प्रथम वरियता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन भूमि 4 बीघा से कम के आधार पर किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आराजी जैर के आवंटन उपरान्त निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपने आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बाबुलाल पुत्र भीखाराम के धारण में 15 बीघा कमाण्ड भूमि है तथा रेस्पोडेन्ट राजाराम के धारण में 3.14 बीघा कमाण्ड व इमीलाल के धारण में 2.04 बीघा भूमि निहित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्राप्त आवेदकों में से प्रथम वरियता के आधार पर आराजी जैर का विशेष आवंटन किया गया है। जो आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आंवटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13–क के अन्तर्गत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–06–2010 के विरूद्व अपील दिनांक 24–10–13 को पेश की है। जो करीब 13 वर्ष से अधिक विलम्ब से

पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 4 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 14–09–2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–06–2010 को अपीलांट का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 4 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 3 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/12 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थी के धारण में भूमि 4 बीघा कमाण्ड से अधिक (25.09 बीघा कमाण्ड व 12. 13 बीघा अनकमाण्ड) होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना के बाबत् पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा प्रार्थी की पारिवारिक अर्थात प्रार्थी के दादा, पिता व स्वयं के धारण की भूमि का सम्पूर्ण हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि प्रार्थी के धारण में अधिक भूमि निहित है। यह तथ्य पत्रावली के साथ संलग्न

पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से भी साबित है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक निहित है व इसी आधार पर अदात मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(4) चूंकि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही अधिक भूमि होने से अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र आवंटन नियमों के विपरीत होने से अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 18–06–2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर